न्यायालय मान्नीय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म.प्र.)

प्र.क. / राज0निग0 /   / 2017

मु/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2018/1020

मुन्नालाल ब्राह्मण तनय सुन्नू ब्राह्मण निवासी पृथ्वीपुर तहसील पृथ्वीपुर जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

...निगराकार / आवेदक

बनाम

1. लक्ष्मन तनय स्व0 प्रेमनारायण ब्राह्मण
2. राजीव तनय स्व0 प्रेमनारायण ब्राह्मण
3. मुल्लन, सीताराम, रज्जू तनय मोहन काछी
4. मु0 भन्नेबाई पत्नि मोहन काछी
5. रमू काछी तनय पंचम काछी समस्त निवासियान पृथ्वीपुर तहसील पृथ्वीपुर जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

...प्रति निगराकार / अनावेदकगण

पुनिरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 प्रतिकूल निर्णय अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक–11 / निग0 / 2003–04 में पारित आदेश दिनांक 24.10.2017

महोदय,

निगराकार / आवेदक सादर निम्न प्रकार विनयी है :–

1. यह कि इस पुनिरीक्षण याचिका में चुनौती दिये गये आदेश से न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी निवाड़ी के अपील प्रकरण क्र. / 76 / अपील / 2001–02 में पारित आदेश दिनांक 26.04.2003 के विरूद्ध निगरानी अपास्त कर आदेश यथावत रखा गया है।

2. यह कि प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि निगराकार एवं प्रति निगराकारगण क्रमांक–1 एवं 2 के पिता स्व. प्रेमनारायण ब्राह्मण सगे भाई रहे हैं, तथा दोनों के शामिल शरीक

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक- एक/निग./टीकमगढ़/भू.रा./2018/1020 जिला-टीकमगढ़

मुन्नालाल विरूद्ध लक्ष्मन आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश बेलापुरकर उपस्थित। आवेदक अभिभाषक द्वारा अपर कलेक्टर, जिला-टीकमगढ़ के क्रमांक 11/निग./2003-04 में पारित आदेश दिनांक 24-10-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 29-11-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त के द्वारा ही	

पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग, सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर के न्यायालय में भेजा जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 09/01/19
सदस्य